

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07पार्ट

जयपुर, दिनांक: 27.06.2022


—आज्ञा—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1(6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु	सेवानिवृत्ति दिनांक	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह	अभियोजन अधिकारी, न्यायालय ए.सी.जे.एम नं. 01 बडी सादडी स.नि.अभि.चित्तौडगढ।	10.10.1962	31.10.2022	31.10.2022	राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के तहत विभागीय जांच विचाराधीन है। श्री अभिमन्यु सिंह, अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर संख्या 358/2011 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(D), 13(2) भा.द.स 1988 एवं 354, 509 भा.द.स पुलिस थाना एसीडी, उदयपुर में विचाराधीन है।
2.	श्री ब्रह्मानन्द जोशी पुत्र श्री भागीरथ जोशी	उप निदेशक अभियोजन, राज. उच्च न्यायालय जयपुर।	15.11.1962	30.11.2022	30.11.2022	—
3.	श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री बृजवासी लाल	अपर लोक अभियोजक, डीग, भरतपुर।	25.12.1962	31.12.2022	31.12.2022	—
4.	श्री आसन दास मुलवानी पुत्र श्री श्रीचंद मुलवानी	सहायक निदेशक अभियोजन, भ.नि.ब्यूरो न्यायालय 01 जयपुर महानगर द्वितीय।	01.01.1963	31.12.2022	31.12.2022	—
5.	श्री अहसान अहमद पुत्र श्री मोहम्मद बशीर	विशिष्ट लोक अभियोजक, कोटा।	10.01.1963	31.01.2023	31.01.2023	—
6.	श्री सुरेश कुमार लेखरा पुत्र श्री छाजूराम लेखरा	सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।	01.02.1963	31.01.2023	31.01.2023	—

1. क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री अभिमन्यु सिंह, अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित हैं। क्रम संख्या 2 से 6 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. क्रम संख्या 1 से 6 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री अभिमन्यु सिंह, अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर संख्या 358/2011 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(D), 13(2) भा.द.स 1988 एवं 354, 509 भा.द.स पुलिस थाना एसीडी उदयपुर (पीएस जारी दिनांक 10.05.2012) में विचाराधीन है। क्रम संख्या 2 से 6 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(वचन मिश्रा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री गृह महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।

3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
5. जिला कलक्टर, जयपुर, भरतपुर, कोटा एवं चित्तौडगढ।
6. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
8. निदेशक अभियोजन, राज. जयपुर।
9. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
10. उप निदेशक अभियोजन जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा।
11. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर, भरतपुर, चित्तौडगढ एवं कोटा।
12. राजपत्रित शाखा, पदोन्नति शाखा, विधि शाखा अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
15. रक्षित/निजी पत्रावली।


27/6
शासन सचिव, गृह (विधि)